

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 32/2021

अपीलांट—

बनाम

रेस्पोंडेंट्स —

देराजराम पुत्र उदाराम जाति
जाट निवासी जोगेसर कुआ
(गरल) तहसील व जिला बाड़मेर

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बाड़मेर
2. राणाराम पुत्र सवाईराम
3. भोमा पुत्र उदाराम
4. राठौड पुत्र उदाराम
5. जोगा पुत्र सवाईराम
6. कसूमबी पत्नी सवाईराम
7. राणाराम पुत्र भूराराम
8. गुमनी पत्नी भूराराम
जाति जाट निवासी जोगेसर
कुआ (गरल) तहसील व जिला
बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध आदेश दिनांक 09.07.2021 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम
जोगेसर के खसरा नंबर 419 में से 1-04 बीघा भूमि का समर्पण स्वीकार
कर पारित किया।

उपस्थिति :-

1. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. शेष रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 8 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24.01.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम जोगेसर
के खसरा नंबर 419 में से 1-04 बीघा भूमि का समर्पण स्वीकृति आदेश
दिनांक 09.07.2021 के विरुद्ध पेश की गई हैं।



low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा जोगेसर कुआ तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 419 रकबा 103-08 बीघा भूमि के खातेदारान देराज, भोमा, राठौड पि0 उदा, राणा, जोगा पि0 सवाई कसूमबी पत्नी सवाई राणा पुत्र भूरा गुमनी पत्नी भूरा जाति जाट सा0 देह ने दिनांक 09.07.2021 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 1-04 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान विरधाराम पुत्र ताजाराम जोगेसर कुआ (गरल) बाड़मेर द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी गरल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम जोगेसर कुआ के खसरा नंबर 419 रकबा 103-08 बीघा भूमि में स्थगन आदेश व न्यायालय वाद-विवाद नहीं है तथा मौके पर आने-जाने हेतु रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2021 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.09.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।



हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा अपीलांट ने अपनी सहखातेदारी की भूमि में के अपने हिस्से में से अपने हिस्से के किसी भी भाग को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण नहीं किया है और न ही अपीलांट दिनांक 09.07.2021 को तहसील कार्यालय बाड़मेर में रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 8 के साथ उपस्थित हुआ। रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 8 ने अपीलांट को सामलाती भूमि बंटवाडा करने का कहकर खाली कागजों पर अपीलांट के अंगुठा निशान अंकित कराये गये

lon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

तथा धोखे से इन कागजों पर समर्पणनामा लिखकर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इस आधार पर अपीलाधीन समर्पण आदेश विधि, न्याय एवं अभिलेख के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष अपीलांट एवं सहखातेदारान द्वारा उपस्थित होकर समर्पणनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था ऐसे में खातेदारान को सूचना दिये बिना समर्पणनामा स्वीकार करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई कोई नोटिस नहीं दिया जिससे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट के सहखातेदारान द्वारा खाली कागजात पर अपीलांट का अंगुठा बंटवाडे का कहकर लिया था जिस पर सोची-समझी योजना के तहत समर्पणनामा लिख दिया। इस प्रकार अपीलाधीन समस्त कार्यवाही धोखे से होने के फलस्वरूप कानून की नजर में शून्य होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट को रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 8 ने सामलाती भूमि का बंटवाडा करवाने का कहकर अपीलांट का अंगुठा खाली कागजातों पर करवाया था जिस पर धोखे से समर्पणनामा निस्पादित होने की जानकारी अपीलांट को हलका पटवारी द्वारा दिनांक 13.07.2021 को दी गई कि तहसीलदार ने समर्पण का आदेश कर दिया है, मौके पर उसके अनुसार हम रास्ता खोलेंगे। इस पर अपीलांट ने तहसील में जाकर समर्पण आदेश दिनांक 09.07.2021 की नकल दिनांक 16.07.2021 को मांगी तथा सर्वप्रथम समर्पण की जानकारी हुई तथा जानकारी होने से यह अपील अन्दर मयाद पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 09.07.2021 एव पश्चातवर्ती कार्यवाही आदेशों को अपास्त करने का श्रम करावें।

रेस्पोंडेंट्स सं. 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि मौजा जोगेसर कुआ तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 419 रकबा 103-08 बीघा भूमि के खातेदारान देराज, भोमा, राठौड पि0 उदा, राणा, जोगा पि0 सवाई कसूमबी पत्नी सवाई राणा पुत्र भूरा गुमनी पत्नी भूरा जाति जाट सा0 देह ने दिनांक 09.07.2021 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 1-04 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा



जािला कलक्टर
बाड़मेर

छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान विरधाराम पुत्र ताजाराम जोगेसर कुआ (गरल) बाड़मेर द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी गरल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम जोगेसर कुआ के खसरा नंबर 419 रकबा 103-08 बीघा भूमि में स्थगन आदेश व न्यायालय वाद-विवाद नहीं है तथा मौके पर आने-जाने हेतु रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2021 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा व्यक्तिशः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहखातेदारी भूमि में से 1-04 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है। अपीलांट द्वारा एक बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कथन किया गया है उससे भिन्न कोई कथन इस न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विबंधित है। लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा जोगेसर कुआ तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 419 रकबा 103-08 बीघा भूमि के खातेदारान देराज, भोमा, राठौड पि0 उदा, राणा, जोगा पि0 सवाई कसूम्बी पत्नी सवाई राणा पुत्र भूरा गुमनी पत्नी भूरा जाति जाट सा0 देह ने दिनांक 09.07.2021 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 1-04 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान विरधाराम पुत्र ताजाराम जोगेसर कुआ (गरल) बाड़मेर द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी गरल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम जोगेसर कुआ के खसरा नंबर 419 रकबा 103-08 बीघा भूमि में स्थगन आदेश व न्यायालय वाद-विवाद नहीं है तथा मौके पर आने-जाने हेतु रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट



जिला कलक्टर
बाड़मेर

एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2021 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलाधीन समर्पण पत्र पर सहमति से स्वयं अंगुठा/हस्ताक्षर कर स्वीकृति आवेदन किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट्स को रास्ते की समर्पण भूमि की सम्पूर्ण जानकारी होना प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांट का यह कहना कि अपीलाधीन समर्पणनामा के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नहीं थे, उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट स्वयं अन्य सहखातेदारान के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है जिसकी पहचान एवं ताईद स्वतंत्र पहचानकर्ता विरधाराम द्वारा की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा व्यक्तिशः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहखातेदारी भूमि में से 1-04 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है। अपीलांट द्वारा एक बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कथन किया गया है उससे भिन्न कोई कथन इस न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विबंधित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।



निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ku
(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर